# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 10/2020

| प्रार्थी बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1.सुरेन्द्रपाल पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर। | 1. कर्म सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी दानेवाला तहसील श्रीकरणपुर।<br>2.गुरदयाल सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर<br>3.विजय लक्ष्मी पत्नि सुशील कुमार जाति बिश्नोई निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>4.सुखदेव सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 5 शनिदेव मन्दिर के पास गजसिंहपुर तहसील पदमपुर।<br>5.हरपाल सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>6.कमलदीप पुत्र जगदीश चन्द जाति बिश्नोई निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>7.जैतल देवी पत्नि जगदीश चन्द जाति बिश्नोई निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>8.भजन लाल पुत्र पन्ना राम जाति बिश्नोई निवासी 8 के.एन.डी.(खोबर) तहसील रावला।<br>9.हनुमान राम पुत्र पन्ना राम जाति बिश्नोई निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

तारीख रजू:-30.07.2020

उपस्थित: 1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री अशोक जोशी अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6,7

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

--निर्णय-- दिनांक : 31/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 59 एफ ए की जमाबन्दी संवत 2076 ता 79 के खाता संख्या 3 के मुरब्बा नम्बर 5, 7 की कुल 1.998 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी के नाम 0.527 हैक्टर नहरी रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नम्बर 10 की 4.333 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 54 के मुरब्बा नम्बर 10, 14, 24, 35, 48/10 की कुल 3.289 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि अप्रार्थी संख्या 2

31/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 0.696 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 36 के मुरब्बा नम्बर 5, 20, 23, 48/24 की कुल 3.049 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पिछले 30-35 वर्षो से प्रार्थी अपने मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 20, 11, 10, 1, 12 के रकबा को काश्त करने के लिए आबादी से निकलकर सरकारी खाला के साथ-साथ जा रहे रास्ता से होते हुए मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 के पश्चिमी उतरी कोने की 16X16 वर्ग फीट की जगह बने रास्ता से होते हुए मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 के पश्चिम डोली के साथ चल रहे दो-दो बिस्वा रास्ता से होते हुए अपने कब्जा काश्त की आराजी में प्रवेश करता है। प्रार्थी द्वारा उक्त से ही अपने रकबा को काश्त, फसल लाने व ले जाने, खेत में आने जाने के लिए, पानी लगाने के लिए व अन्य कृषि कार्यो के लिए किया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि को काश्त करने के लिए मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 के पश्चिमी उतरी कोने की 16X16 वर्ग फीट की जगह में बने रास्ता व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 के पश्चिमी डोली के साथ चल रहे दो-दो बिस्वा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता से ही अपने मुरब्बा नम्बर 5 के रकबा को काश्त किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार कहा गया कि वह मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 के पश्चिमी उतरी कोने की 16X16 वर्ग फीट की जगह बने रास्ता व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 के पश्चिम डोली के साथ चल रहे दो-दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवा देवे और प्रार्थी से उक्त रकबा की एवज में डीएलसी रेट के मुताबिक राशि प्राप्त कर लेवे तो अप्रार्थीगण आज-कल का कहकर टालते रहे, लेकिन आज से 15 रोज पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि वे अतिशीघ्र मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 के पश्चिमी उतरी कोने की 16X16 वर्ग फीट की जगह में बने रास्ता व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 के पश्चिमी डोली के साथ चल रहे दो-दो बिस्वा रास्ता को बंद कर देगें। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थी अपने रकबा को काश्त नहीं कर सकेगा। प्रार्थी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र ला पाने के अधिकारी है। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले अप्रार्थीगण को डीएलसी रेट के मुताबिक राशि देने के लिए तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 59 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 के पश्चिमी उतरी कोने की 16X16 वर्ग फीट की जगह में बने रास्ता व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 के पश्चिमी डोली के साथ चल रहे दो-दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत किया जावे। और उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:33:13 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5 से 9 बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया, जो बाद सुनवाई स्वीकार कर अप्रार्थी सुखदेव सिंह का नाम बतौर अप्रार्थी संख्या 4 हटाए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6,7,9 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9

31/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6,7,9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार खाता संख्या 3 में प्रार्थी के नाम 0.527 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज है, लेकिन यह मुश्तर्का खाता है। इस मुश्तर्का के सह खातेदार आत्मा राम पुत्र हंसराज, जिसके नाम 1.471 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज है को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस मुश्तर्का खाते का आज तक कोई किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी का मुरब्बा नम्बर 5 में स्थित अपनी भूमि में काश्त हेतु मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 के उतरी-पश्चिमी कोने की 16X16 वर्ग फीट भूमि व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 के पश्चिमी मेड के साथ-साथ दो-दो बिस्वा में से गुजरने अथवा मौके पर ऐसा कोई रास्ता मौजूद होने के कथन सरासर गलत अंकित किये गए है। यदि प्रार्थी के कथित अनुसार मौके कोई रास्ता मौजूद होता तो मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिणी मेड के साथ-साथ पक्के सरकारी खाला पर कोई पुलिया निर्मित होती, जिसके बिना उक्त करीब 3 फीट चौडे खाले के उपर से गुजरना सम्भव नहीं है। इससे भी आवेदक के कथन गलत होना प्रमाणित है। सही तथ्य यह है कि मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 5 में से एफ.सी. माइनर नहर चलती है, जिसके लिए करीब 56 फीट चौडे पटडे की जगह नहर के साथ-साथ खाली है, और इसी रास्ता से होकर प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 5 की अपनी कृषि भूमि में काश्त हेतु आवागमन करता है, यही रास्ता उसके लिए सुगम व सुविधाजनक है। प्रार्थी का हम अप्रार्थीगण से मिलने, रास्ता बाबत कोई भी बात होने अथवा तथाकथित चालू रास्ता बन्द करवाने की धमकी देने के कथन सरासर गलत है, जो स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 में हम अप्रार्थीगण संख्या 2, 5, 7, 9 की 21/2 की 0.101 हैक्टर कृषि भूमि है, जो इसी मुरब्बा के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 में स्थित सरकारी खाला के साथ चिपती पूर्व-पश्चिम की भूमि है। अर्थात किला नम्बर 21 का दक्षिणी आधा हिस्सा हम अप्रार्थी संख्या 2, 5, 7, 9 का मुश्तर्का खाता में है। किला नम्बर 21 का उतरी आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हम अप्रार्थी संख्या 7 व 9 तथा भजनलाल ने अपने हिस्सा में आई मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21/2 की 0.101 हैक्टर भूमि में सरकारी खाला के साथ अपनी काश्त सुविधाओं के लिए 12X15 वर्ग फीट के पक्के कमरे का निर्माण ढाणी के रूप में किया हुआ है, जहां हमारे काश्त उपकरण व कृषि मजदूर रहते है। जहां से रास्ता चालू होने अथवा स्वीकृत किये जाने के कथन स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर को क्रमांक/राजस्व/2020/258 दिनांक 30.07.2020 तथा क्रमांक/राजस्व/2020/389 दिनांक 18.11.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार श्री करणपुर ने क्रमांक 838 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रार्थना पत्र में रास्ते हेतु दर्शायी गई भूमि चक 59 ... प्रार्थी की आराजी मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 2/2, 10, 11, 12 ... के ... की भूमि में पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर ... भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21/1 की 0.127 हैक्टर भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यक है, आराजी में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। फर्द मौका जॉच में अंकित नजरी नक्शें में निकटतम दूरी के विकल्प को रास्ते के रूप में प्रस्तावित किया गया है। न्यूनतम एंव निकटतम विकल्प व्यावहारिक है।

31/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

**सुरेन्द्रपाल बनाम कर्म सिंह आदि**
**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 10/2020**

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी 59 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 2/2, 10, 11, 12, 20 का अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 05 के किला नम्बर 21/1 एंव मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1/1 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को जोत तक पहुंचने के लिए वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है तथा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज आपत्तियां निराधार एंव सारहीन होने से अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करने योग्य है।

**-:आदेश:-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। चक 59 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1/1 के उतरी पश्चिमी कोने पर 16.5 फीट चौडा एंव 16.5 फीट लम्बा तथा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21/1 के पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उतर-दक्षिण दिशा में दो-दो बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1/1 एंव मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21/1 की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करें। राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

31/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

**सुरेन्द्रपाल बनाम कर्म सिंह आदि**
**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 10/2020**

तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested